रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-02052026-272211
CG-TL-E-02052026-272211

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2095] नई दिल्ली, शनिवार, मई 2, 2026/वैशाख 12, 1948
No. 2095] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 2, 2026/VAISAKHA 12, 1948

रेल मंत्रालय

(दक्षिण मध्य रेलवे)

अधिसूचना

सिकंदराबाद, 19 अप्रैल, 2026

का.आ. 2176(अ).— रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (इसके पश्चात उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित (की धारा 20ए की उप-धारा) ।) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने के पश्चात् कि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण संलग्न अनुसूची में दिया गया है, विशेष रेलवे परियोजना अर्थात् आंध्र प्रदेश राज्य के अनकापल्ली जिले में “विजयवाडा-विशाखपट्टणम रेलवे लाइन पर तुनि और गुल्लिपाडु स्टेशनों के बीच रेलवे कि.मी.682/30-32 पर समपार फाटक सं. 450 के बदले ऊपरी सड़क पुल का निर्माण”, के निष्पादन के लिए आवश्यक है, एतद्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने की अपनी मंशा की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 20डी की उप-धारा) ।) के अंतर्गत पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अधिग्रहण और उपयोग के संबंध में आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर भू-अर्जन में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है.

प्रत्येक ऐसी आपत्ति ,सक्षम प्राधिकारी ,अर्थात् राजस्व मंडल अधिकारी, नर्सीपट्णम, अनकापल्ली जिले को लिखित रूप में की जाएगी और उसके आधारों को निर्धारित की जाएगी तथा सक्षम प्राधिकारी अर्थात् राजस्व मंडल अधिकारी, नर्सीपट्णम, अनकापल्ली जिला आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या कानूनी व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के बाद तथा आगे ऐसी की जांच करने के पश्चात् यदि सक्षम प्राधिकारी यह आवश्यक समझता है तो वह किसी आदेश द्वारा आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है.

उक्त अधिनियम की धारा 20(डी (की उप-धारा) II) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा.

इस अधिसूचना के अंतर्गत शामिल की गई भूमि की भू-योजनाएं और अन्य विवरण उक्त सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति द्वारा उनका निरीक्षण किया जा सकता है.

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के अनकापल्ली जिले में विशेष रेलवे परियोजना, विजयवाडा-विशाखपट्टणम रेलवे लाइन पर तुनि और गुल्लिपाडु स्टेशनों के बीच रेलवे कि.मी.682/30-32 पर समपार फाटक सं. 450 के बदले ऊपरी सड़क पुल का निर्माण हेतु अर्जित की जाने वाली भूमि का किसी संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण.

क्र.सं.	मंडल का नाम	गांव का नाम	एलपीएम सं.	सर्वेक्षण सं और उप मंडल	प्रस्तावित क्षेत्र (एकड़)	प्रस्तावित क्षेत्र (हेक्टेयर)	भूमि का वर्गीकरण	भूमि की प्रकृति
1	पायकरावपेटा	पायकरावपेटा	652	32-2	0.21 1/2	0.087	राइतुवारी शुष्क	पट्टा
2	पायकरावपेटा	पायकरावपेटा	222	99-1	0.50 1/2	0.2043	राइतुवारी शुष्क	पट्टा
3	पायकरावपेटा	पायकरावपेटा	673	32-1ए/सी	0.01	0.004	एसडब्लयूएलए	बीसी हॉस्टल
4	पायकरावपेटा	पायकरावपेटा	52	32-1ए/सी	0.30 1/4	0.1224	एसडब्लयूएलए	हाउसिंग कॉलोनी
5	पायकरावपेटा	पायकरावपेटा	56	34	0.29	0.1174	पोरंबोक	सड़क
6	पायकरावपेटा	पायकरावपेटा	57	35	0.45	0.182	पोरंबोक	सड़क
7	पायकरावपेटा	पायकरावपेटा	58	36	0.14 3/4	0.0596	पोरंबोक	सड़क
8	पायकरावपेटा	पायकरावपेटा	223	100	0.52 1/2	0.2124	पोरंबोक	सड़क
9	पायकरावपेटा	पायकरावपेटा	225	102	0.06 1/2	0.0263	पोरंबोक	सड़क
10	पायकरावपेटा	पायकरावपेटा	37	59	0.31	0.1254	पोरंबोक	रेलवे भूमि
				कुल क्षेत्र	**एकड़ 2.82**	**1.1408**		

[फा. सं. D.Con./BZA/ROB/450/20A]

सुनील कुमार वर्मा, मुख्य इंजीनियर/निर्माण-IV

MINISTRY OF RAILWAYS

(South Central Railway)

NOTIFICATION

Secunderabad, the 19th April, 2026

S.O. 2176(E). — In exercise of the power conferred by sub-section(1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred in as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which was given in the schedule annexed hereto, is required for execution of the Special Railway Project, namely, Construction of ROB in lieu of LC No. 450 situated at Railway Km. 682/30-32 between Tuni and Gullipadu stations on BZA–VSKP Railway line in Anakapalli District in the state of Andhra Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land:

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act:

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Revenue Divisional Officer, Narsipatnam, Anakapalli District, in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority Revenue Divisional Officer, Narsipatnam, AnakapalliDistrict shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (II) of section 20(D) of the said act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely: Construction of ROB in lieu of LC No. .450situated at Railway Km. 682/30-32 between Tuni and Gullipadu stations on BZA–VSKP Railway line in Anakapalli District in the state of Andhra Pradesh.

S.No	Mandal	Village	LPM No	Sy.No& Sub-Division	Proposed Extent (Ac)	Proposed Extent (Hec)	Classification of Land	Nature of Land
1	Payakaraopeta	Payakaraopeta	652	32-2	0.21 1/2	0.087	Rayathuvari Dry	Patta
2	Payakaraopeta	Payakaraopeta	222	99-1	0.50 1/2	0.2043	Rayathuvari Dry	Patta
3	Payakaraopeta	Payakaraopeta	673	32-1A/C	0.01	0.004	SWLA	BC Hostel
4	Payakaraopeta	Payakaraopeta	52	32-1A/C	0.30 1/4	0.1224	SWLA	Housing colony
5	Payakaraopeta	Payakaraopeta	56	34	0.29	0.1174	Poramboke	Road
6	Payakaraopeta	Payakaraopeta	57	35	0.45	0.182	Poramboke	Road
7	Payakaraopeta	Payakaraopeta	58	36	0.14 3/4	0.0596	Poramboke	Road
8	Payakaraopeta	Payakaraopeta	223	100	0.52 1/2	0.2124	Poramboke	Road
9	Payakaraopeta	Payakaraopeta	225	102	0.06 1/2	0.0263	Poramboke	Road
10	Payakaraopeta	Payakaraopeta	37	59	0.31	0.1254	Poramboke	Railway land
				TOTAL EXTENT	**Ac 2.82**	**1.1408**		

[F. No. D.Con./BZA/ROB/450/20A]

SUNIL KUMAR VERMA, Chief Engineer/Con-IV

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA